# ताजनगरी को हर हाल में बनाना है नंबर वन

**आगरा, वरिष्ठ संवाददाता।** स्वच्छ सर्वेक्षण में ताजनगरी को देश में नंबर वन बनाने के उद्देश्य से नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य ने सिटीजन फीडबैक अभियान को और तेज करने के निर्देश दिए हैं। समीक्षा बैठक में अधिकारियों और कर्मचारियों को स्पष्ट रूप से कहा गया कि सभी कर्मचारी लक्ष्य निर्धारित कर अधिक से अधिक नागरिकों से सिटीजन फीडबैक कराएं। साथ ही चेतावनी दी गई कि इस कार्य में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि शहर के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों जैसे शॉपिंग मॉल, स्कूल, कॉलेज, होटल, बाजार और व्यस्त चौराहों पर कैनोपी एवं स्टैंडी

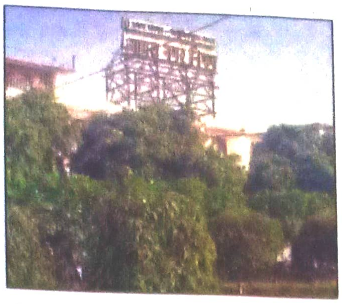

लगाकर लोगों को स्वच्छ सर्वेक्षण के प्रति जागरूक किया जाए। मौके पर ही सिटीजन फीडबैक कराया जाए। नगर निगम का उद्देश्य अधिक से अधिक नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना है, ताकि शहर की स्वच्छता रैंकिंग में सुधार हो सके।

- **सिटीजन फीडबैक को लेकर नगर आयुक्त ने की समीक्षा बैठक, कहा लापरवाही बर्दाश्त नहीं**
- **मॉल, स्कूल और बाजारों में लगेंगी कैनोपी-स्टैंडी, डोर टू डोर वाहनों से होगी फीडबैक की अपील**

अधिकारियों ने कहा कि डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन करने वाले वाहनों का भी प्रभावी उपयोग किया जाए। वाहनों पर बजने वाली जिंगल बेल के स्थान पर अब नागरिकों से सिटीजन फीडबैक देने की अपील प्रसारित कराई जाएगी, जिससे मोहल्लों और कॉलोनियों में लोगों तक सीधे संदेश पहुंचे और वे अभियान से जुड़ सकें। बैठक के दौरान सहायक नगर आयुक्त अशोक प्रिय गौतम को निर्देश दिए गए कि वे प्रतिदिन शाम को फीडबैक अभियान की समीक्षा करें और जोनवार प्रगति रिपोर्ट तैयार कराएं। कहा गया कि प्रत्येक वार्ड में अभियान की मॉनीटरिंग प्रभावी ढंग से की जाए तथा लक्ष्य के अनुरूप परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। अधिकारियों ने कहा कि आगरा को स्वच्छता के क्षेत्र में नंबर वन बनाने का सपना जनसहयोग के बिना पूरा नहीं हो सकता। इसलिए, शहरवासियों को अभियान से जोड़ने के लिए जागरूकता गतिविधियां लगातार चलाने पर जोर दिया गया। बैठक में नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संजीव वर्मा आदि रहे।

---


## आगरा विकास प्राधिकरण
### जयपुर हाउस, आगरा

आविप्रा

संख्याः–541/D/EE–2/26    दिनांक : 07 मई, 2026

**Request for Proposal (R.F.P)**

| क्र. स. | कार्य का नाम | आर०एफ०पी० डाउनलोड/अपलोड प्रारम्भ की तिथि | बिड की अन्तिम तिथि | तकनीकी बिड खोलने की तिथि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Selection of an Agency for the Bulk Sale of 75 Residential Flats in Block ET-01ADA Heights, Taj Nagri Phase-II, Agra | 11-05-2026 (at 02:00 PM) | 11-06-2026 (at 05:00 PM) | 12-06-2026 (at 05:00 PM) |

- कार्य के सम्बन्ध में किसी भी अन्य जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस में मुख्य अभियन्ता, आगरा विकास प्राधिकरण, मो0 नं0–9259185447 E-mail: ceadaagra12@gmail.com पर सम्पर्क किया जा सकता है।
- उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण को बिना कोई कारण बताये उक्त आर०एफ०पी० को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। विस्तृत विवरण एवं अन्य नियम एवं शर्तें वेबसाइट http://etender.up.nic.in से डाउनलोड की जा सकती हैं।

**मुख्य अभियन्ता**


हिन्दुस्तान 08/5/26


## सूचना

हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि श्री सौरभ लाम्बा व श्री गौरव लाम्बा पुत्रगण श्री गुलशन लाम्बा, निवासीगण 47 भरतपुर हाउस, आगरा जो कि सम्पत्ति जिसका निर्माण प्लाट संख्या 83 पर है जिसका नगर निगम नम्बर 3/50C/1 पैमाइशी 35'6" X 60' और उसका रकवा 198.00 Sq- Mtr- है स्थित भरतपुर हाउस, हरी पर्वत वार्ड, आगरा के मालिक एवं काबिज हैं। जिसे उन्होंने श्री राजीव धवन पुत्र श्री सत्य पाल धवन से दिनांक 14.08.2025 को खरीदा है। परन्तु उनके पास उसकी लिंक डीड दिनांक 21.11.1984 जिसका पंजीयन उपनिबन्धक आगरा के यहां वहीं संख्या 1 जिल्द संख्या 3134 पृष्ठ 207 कमांक संख्या 4818 दिनांक 24.02.1985 व अतिरिक्त फाइल संख्या 1 जिल्द संख्या 3186 पृष्ठ संख्या 1/12 पर हुआ है जिसे चेतना सहकारी आवास समिति ने श्रीमती सुशीला कपूर के हक में किया था उपरोक्त विक्रय पत्र कहीं खो गये हैं और मिल नहीं रहे हैं श्री सौरभ लाम्बा व श्री गौरव लाम्बा ने उक्त जायदाद को मेरे पक्षकार एच०डी०एफ०सी० बैंक संजय प्लेस, भावना प्लाजा, आगरा से वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु आवेदन किया है परन्तु उनके पास उसकी लिंक उपरोक्तानुसार कहीं खो गये हैं और नहीं मिल रही हैं यदि किसी व्यक्ति अथवा वित्तीय संस्था को उपरोक्त सम्पत्ति की बावत किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो, वह हमारे नीचे लिखे नाम व पते पर मूल दस्तावेज के साथ 14 दिन के अन्दर पहुँचा दे अन्यथा उक्त समय उपरान्त उक्त सम्पत्ति मेरे पक्षकार द्वारा बन्धक कर दी जावेगी तथा उसके उपरान्त कोई भी आपत्ति कतई स्वीकार न होकर निरर्थक अथवा अर्थहीन समझी जावेगी, जिसके लिए हम कतई उत्तरदायी नहीं होगें।

**राजीव कुलश्रेष्ठ एडवोकेट**
**कमरा न0 21 दीवानी कचहरी आगरा। मौ0. 9411404971**


जिला
आगरा, वरिष्ठ
राष्ट्रीय लोक अदालत
बनाने और व्यापक
लिए जनपद न्याय
जिला विधिक से
संजय कुमार मलिक
को गुरुवार को दी
दिखाकर रवाना कि
नौ मई को आयोजि
अदालत को लेक
पर जाकर आमज
करेगा।
जिला

सेन
उन
आगरा।
आए 79
सेना ने
वापस भे
जरूरत
दिया। बु
कहा कि
बहुत-ब
वाय
संतोष
एनडी
इंस्ट्रक
था कि
भी है।


## यूनियन बैंक ऑफ इंडिया — Union Bank of India
भारत सरकार का उपक्रम — A Government of India Undertaking

**क्षेत्रीय कार्यालयः 13, एम जी रोड, आगरा** | **ई–नीलामी बिक्री सूचना**

### अचल सम्पत्तियों की विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय सूचना

**प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस।**

आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले (उधारकर्ता/उधारकर्ताओं) और प्रत्याभूति-दाता (गारंटर/गारंटरों) को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति/संपत्तियां जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित है, का **सांकेतिक/भौतिक कब्जा** प्रतिभूत लेनदार, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहां है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर निम्नलिखित दिनांक पर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, प्रतिभूत लेनदार द्वारा निम्नलिखित उधारकर्ता/उधारकर्ताओं एवं गारंटर/गारंटरों से बकाया राशि की वसूली हेतु बेचा जाएगा। संबंधित संपत्ति/संपत्तियों का आरक्षित मूल्य तथा धरोहर जमा राशि (ईएमडी) नीचे उल्लेखित है : -

| क्र. सं. | ऋणी/बंधककर्ता/गारंटर के नाम एवं पता | सम्पत्ति का विवरण | कब्जे का प्रकार | आरक्षित मूल्य / ईएमडी / बोली बढ़ाने की राशि | देय नोटिस की दिनांक / बकाया राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| **शाखाः फिरोज़ाबाद मेन, सम्पर्कः 9741587111** | | | | | |
| 1. | **ऋणी–** श्री सर्वेश यादव पुत्र श्री महताब सिंह यादव, पता– मकान नंबर 126 एवं 127 सेक्टर– 4 सुहाग नगर, फिरोजाबाद, **गारंटर–** श्री मुकेश कुमार शर्मा पुत्र श्री राम बाबू शर्मा, **पता–** मकान नंबर 136 गली नंबर 2 बस स्टैंड, आगरा गेट, फिरोजाबाद | आवसीय संपत्ति के सभी भाग एवं खण्ड मकान नंबर 126, सेक्टर– 4 सुहाग नगर, फिरोजाबाद, जिला– फिरोजाबाद, एरिया: लगभग 54.32 वर्ग मीटर, संपत्ति श्री सर्वेश यादव पुत्र महताब सिंह के नाम, चौहद्दी: पूर्व: 9 मीटर चौड़ा रोड, पश्चिम: प्लॉट नंबर 4/150, उत्तर: प्लॉट नंबर 4/127, दक्षिण: प्लॉट नंबर 4/125 | सांकेतिक | 29,90,000/- / 2,99,000/- / 29,900/- | 12.12.2025 / 7,04,005.50 + ब्याज व अन्य खर्चे |

**बैंक की जानकारी के अनुसार सम्पत्तियों पर भार का विवरण — ज्ञात नहीं है।**

**ई–नीलामी की दिनांक : 12.06.2026 समय : दोपहर 12 बजे से सायं 05 बजे तक**
**बिड जमा करने की अन्तिम तिथि : ई नीलामी प्रारम्भ होने तक या उससे पहले**

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया निम्नलिखित लिंक को देखें या सम्पर्क करें– 0562–2251663, https://www.unionbankofindia.co.in/auction-property/view-auction-property.aspx and www.unionbankofindia.co.in ...पंजीकरण एवं बोली के नियम हेतु https://baanknet.com पर जाएँ।
...गारंटीकर्ता/बंधककर्ता को नियम 8(6) एवं 9(1) के सिक्योरिटी इन्टरेस्ट (इनफोर्समेंट) नियम 2002 के तहत 30 दिन की बिक्री सूचना माना जाए। ...ई नीलामी बिक्री सूचना में यदि भूलवश कोई त्रुटि पाई जाती है तो अंग्रेजी में प्रकाशित नोटिस को सही माना जाये।

प्राधिकृत अधिकारी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

लिस का चुकमा दे बचता
और जगह-जगह अपना
ा बदलता रहा। एसटीएफ
सकी लोकेशन लखनऊ
स वे पर मिली थी। लोकेशन
पर एसटीएफ उसका पीछा
ही थी जिसे आगरा में
ी कर दबोच लिया।

## श्वत आरोप ग्राम सचिव सस्पेंड

गरा। प्रधानमंत्री आवास
में ग्राम सचिव पर
खोरी का गम्भीर आरोप
र उसे सस्पेंड कर दिया
। घूस मांगने का वीडियो
आने पर सीडीओ ने
कार्यवाही करते हुए
के आदेश दिये, जिससे
में हडकंप मच गया। यह
थपैडा ग्राम पंचायत का
ाया है। आरोप है कि ग्राम
बगैर पैसे लिये कोई काम
रता, उसे हर काम में
चाहिए। यह आरोप
ने लगाए हैं, जिसकी
त सीडीओ से की गई थी,
मामले की जांच के
दिये थे, इसके बाद
की कार्यवाही की गई।
का आरोप है कि सचिव
में डूबा हुआ है, विकास
लेकर जन्म-मृत्यु प्रमाण
बगैर घूस के काम नहीं
सी का एक ऑडियो
हुआ था, वायरल
पर प्रशासन हरकत में

---

# आगरा विकास प्राधिकरण
## जयपुर हाउस, आगरा

संख्याः-541/D/EE-2/26 दिनांक : 07 मई, 2026

**Request for Proposal (R.F.P)**

| क्र. सं. | कार्य का नाम | आर०एफ०पी० डाउनलोड/अपलोड प्रारम्भ की तिथि | बिड की अन्तिम तिथि | तकनीकी बिड खोलने की तिथि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Selection of an Agency for the Bulk Sale of 75 Residential Flats in Block ET-01ADA Heights, Taj Nagri Phase-II, Agra | 11-05-2026 (at 02:00 PM) | 11-06-2026 (at 05:00 PM) | 12-06-2026 (at 05:00 PM) |

- कार्य के सम्बन्ध में किसी भी अन्य जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस में मुख्य अभियन्ता, आगरा विकास प्राधिकरण, मो0 नं0-9259185447 E-mail: ceadaagra12@gmail.com पर सम्पर्क किया जा सकता है।
- उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण को बिना कोई कारण बताये उक्त आर०एफ०पी० को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। विस्तृत विवरण एवं अन्य नियम एवं शर्तें वेबसाइट http://etender.up.nic.in से डाउनलोड की जा सकती हैं।

मुख्य अभियन्ता

आज 08/05/26

---

# आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा
## सार्वजनिक विज्ञप्ति

श्री मनोज गर्ग सचिव, जी.सी. सहकारी आवास समिति द्वारा प्लॉट सं.-09 पार्ट, ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड जी.सी. टाउनशिप खसरा सं.-50, 52, 53 मौजा - मघटई, एवं खसरा सं. 61, 62, 64, 65 मौजा-सुनारी आगरा पर सब-डिवीजन निर्माण हेतु मानचित्र सं.-ADA/LD/25-26 /0911 स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रश्नगत भूखण्ड सं.-09 स्वीकृत जी.सी. गार्डन टाउनशिप खसरा सं.-50, 52, 53 मौजा- मघटई एवं खसरा सं.-61, 62, 64, 65 मौजा - सुनारी आगरा का ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड है। उक्त भूखण्ड सं0-09 ग्रुप हाउसिंग पर श्री मनोज गर्ग सचिव, जी.सी. गार्डन आवास समिति द्वारा सब-डिवीजन ले-आऊट ऑनलाईन मानचित्र स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तावित सब-डिवीजन ले-आऊट मानचित्र पर किसी हितबद्ध व्यक्ति/संस्था/जनसामान्य को कोई आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत करना हो, तो सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के अन्दर अपनी आपत्ति/सुझाव को मुख्य नगर नियोजक/नगर नियोजक, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा के कार्यालय कक्ष में प्रस्तुत कर सकते है। प्रस्तावित सब-डिवीजन ले-आऊट मानचित्र का अवलोकन प्राधिकरण कार्यालय स्थित भवन अनुभाग में किया जा सकता है। नियत तिथि के उपरान्त प्राप्त होने वाली किसी भी आपत्ति/सुझाव पर विचार नहीं किया जायेगा।

सचिव
आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।

---

# आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा
## सार्वजनिक विज्ञप्ति

श्री कपिल मीरचंदानी व श्री धीरज मीरचंदानी पुत्रगण श्री जगदीश मीरचंदानी निवासी-फ्लैट 401, टॉवर 2, कावेरी कौस्तुभ, सिकन्दरा, आगरा द्वारा प्लॉट नं. 01 एवं 01ए (पार्ट), नगर निगम नं.43/500/1ए, चेतकपुरम, मौजा ककरैठा, आगरा पर आवासीय भू-उपयोग से इतर व्यवसायिक क्रिया के अन्तर्गत ऑनलाईन मानचित्र सं. ADA/BP/25-26/0150 स्वीकृति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रश्नगत स्थल का प्लॉट नं. 01 एवं 01ए (पार्ट) नगर निगम नं.-43/500/1ए, चेतकपुरम, मौजा. ककरैठा, आगरा का भू-उपयोग आगरा महायोजना-2021 एवं महायोजना- 2031 के अनुसार [illegible] मार्ग से प्रभावित है। प्रश्नगत स्थल के अवशेष भाग का भू-उपयोग आवासीय के अन्तर्गत [illegible] भवन निर्माण एवं विकास उपविधि एवं मॉडल जोनल रेगूलेशन, 2025 के [illegible] 2.2 के अनुसार व्यवसायिक क्रिया न्यनतम 12.00 मी. मार्ग पर [illegible] प्रस्तावित स्थल [illegible] प्रश्नगत स्थल 53.00 मीटर चौड़े विद्यमान महायोजना मार्ग एन. एच.-19 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shiv Nath Singh
Date: 2026.05.12 17:56:39 IST
Location: Uttar Pradesh-UP